

-: कार्यालय –प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन :-

विषय:- जिला न्यायालय भवन उज्जैन की सर्विस बिल्डिंग में स्थित कैटीन संचालन हेतु निविदा।


जिला न्यायालय भवन उज्जैन की सर्विस बिल्डिंग में स्थित कैटीन संचालन हेतु प्रतिष्ठित, पंजीकृत, प्रामाणिक, अनुभवी और पात्र फर्म या व्यक्ति, जिन्होंने समान कार्य किया है या सरकार में कैटीन चला रहे हैं, से सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती हैं। अर्ध-सरकारी संगठन या सार्वजनिक/निजी संस्थान/संगठन और इस निविदा दस्तावेज में अन्य सभी नियमों और शर्तों को पूरा करने वाले निविदाकर्ता/अधोहस्ताक्षरकर्ता जिला न्यायालय उज्जैन में नियत समयावधि में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समयावधि उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

निर्धारित निविदा प्रारूप/ फॉर्म, जिसमें नियम और शर्तें माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.gov.in- एवं www.tenders.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदक/निविदाकर्ता उक्त वेबसाइट से निविदा प्रपत्र/आवेदन पत्र डाउन लोड कर सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट, कार्य अनुभव की प्रति और पैन नंबर "प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उज्जैन" के पक्ष में निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है

:-

| | |
|---|--|
| लाइसेंस शुल्क (न्यूनतम) | रु- 100000/- |
| अर्नेस्ट मनी/सिक्योरिटी डिपॉजिट की लागत | रु - 10000/- |
| परफार्मेंन्स गारंटी | रु - 40000/- |
| निविदा प्रपत्र (टेंडर फार्म) | रु - 2500/- |
| निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय | दिनांक 20.08.2024 को सायं 5.00 बजे तक। |
| निविदा खुलने का समय | दिनांक 24.08.2024 को सायं 5.15 बजे |

नोट:- अर्नेस्ट मनी एवं लाइसेंस शुल्क का भुगतान "प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उज्जैन" के पक्ष में आहरित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा। इनके बिना निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उज्जैन म.प्र.

टेकेदार का नाम _____
पता _____
फोन नंबर _____

नियम और शर्तें :

1. अनुबंध की अवधि अनुबंध जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए होगी। अनुबंध अवधि में कैंटीन संचालन का कार्य संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अनुमोदन उपरांत 06-06 माह बढ़ायी जा सकेगी।
2. निविदाकर्ता/लाइसेंसधारक को न्यूनतम रु. 1,00,000/- (एक लाख मात्र) वार्षिक लाइसेंस शुल्क के रूप में, उज्जैन में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में देय "प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उज्जैन" के पक्ष में जारी डिमांड ड्राफ्ट पर प्रस्तुत करना होगा। निविदा उन बोलीदाताओं के बीच स्वीकार की जाएगी जो इस निविदा के तहत अन्य प्रभार्य / देय राशि के अलावा वार्षिक लाइसेंस शुल्क और न्यूनतम मद दर के लिए उच्चतम राशि की बोली लगाएंगे।
3. निविदाकर्ता/लाइसेंसधारक खाद्य/पेय पदार्थों की सूची संबंधित दरों के साथ, जो वे कैंटीन में उपलब्ध कराएंगे, निविदा दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करेंगे।
4. निविदाकर्ता/लाइसेंसधारक को भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी, उज्जैन द्वारा निर्धारित किराए के रूप में न्यूनतम राशि 17150/- रुपये की मासिक राशि का भुगतान निविदाकर्ता को करना होगा (भविष्य में किराए में बदलाव के अधीन) जिसे प्रत्येक माह की 7 तारीख या उससे पहले अग्रिम रूप से भुगतान किया जाना है। निविदाकर्ता को कब्जा लेने के समय अग्रिम रूप से 03 महीने का किराया देना होगा।
5. निविदाकर्ता/लाइसेंसधारक द्वारा आवेदन के साथ कार्य के अनुभव के संबंध में सरकारी/अर्ध-सरकारी संगठन या सार्वजनिक/निजी संस्थान/संगठन अस्पतालों आदि में कैंटीन चलाने का कम से कम दो साल का अनुभव होना चाहिए। अनुभव के संबंध में संबंधित पेपर निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।
6. निविदाकर्ता/लाइसेंसधारक द्वारा कैंटीन संचालन हेतु पृथक से बिजली और पानी के शुल्क का भुगतान वास्तविक खपत के अनुसार संबंधित विभाग/संस्थान को करना होगा। स्वयं के व्यय पर बिजली मीटर लगवाना होगा।
7. निविदाकर्ता/लाइसेंसधारक द्वारा मासिक किराया जमा नहीं कराये जाने, परिसर की साफ-सफाई उचित रूप से न किये जाने व खाद्य वस्तु की स्वच्छता का ध्यान नहीं रखे जाने पर 100/- रुपये प्रतिदिन, अधिकतम रु. 2500/- प्रति माह भुगतान करना होगा। कैंटीन से निकलने वाले प्रतिदिन के कचरे को कचरा गाड़ी में डालने की जिम्मेदारी लाइसेंसधारक की होगी।
8. निविदाकर्ता/लाइसेंसधारक को कैंटीन संचालन के लिए किसी अन्य व्यक्ति को उप-किराए पर देने, सौंपने या अधिकृत करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
9. निविदाकर्ता/लाइसेंसधारक कैंटीन के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा, हर समय पूर्ण स्वच्छ और स्वच्छस्थिति और सक्षम प्राधिकारी या / प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन द्वारा लगाए गए किसी भी/सभी दंड के लिए जिम्मेदार होगा।
10. निविदाकर्ता/लाइसेंसधारक नगर निगम और कैंटीन चलाने के लिए आवश्यक अन्य सक्षम अधिकारियों से प्रमाण पत्र/लाइसेंस प्राप्त करेगा।
11. कैंटीन कक्ष के पास स्थित खुले स्थान पर निविदाकर्ता/लाइसेंसधारक का कोई अधिकार नहीं होगा।
12. निविदाकर्ता/लाइसेंसधारक को लाइसेंस प्राप्त परिसर/क्षेत्र के अनन्य कब्जे में माना जाएगा और लाइसेंसकर्ता को कैंटीन परिसर का निरीक्षण करने के लिए कार्य घंटों के दौरान किसी भी समय परिसर में प्रवेश करने का अधिकार होगा।

13. निविदाकर्ता/लाइसेंसधारक द्वारा उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल/सब्जियों की गुणवत्ता अच्छी/ताजा गुणवत्ता की होनी चाहिए और नियम, कानून और विनियमों के अनुसार लागू होनी चाहिए। विक्रेता को समय-समय पर लागू होने वाले निविदा दस्तावेज और कानून के अनुसार गुणवत्ता और मात्रा बनाए रखने के लिए घोषणा/वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी, जिसका उल्लंघन बिना सूचना के लाइसेंस की समाप्ति के लिए आधार होगा।
14. निविदाकर्ता/लाइसेंसधारक द्वारा कैंटीन के उपयोग हेतु नाश्ता/अन्य सेवाओं की गुणवत्ता की समय-समय पर जांच की जाएगी और असंतोषजनक पाए जाने पर लाइसेंसकर्ता/प्रधान जिला न्यायाधीश उज्जैन द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना कोई कारण बताए लाइसेंस किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन के पास बिना किसी सूचना के भी आवश्यक समझे जाने पर जुर्माना लगाने का पूरा अधिकार सुरक्षित है।
15. निविदाकर्ता/लाइसेंसधारक द्वारा उपयोग किये जा रहे क्रॉकरी और खाना पकाने के बर्तन आदि हमेशा अच्छी स्थिति में एवं अच्छी गुणवत्ता के रखना होंगे।
16. निविदाकर्ता/लाइसेंसधारक के सभी नियुक्त कर्मचारी स्वच्छ एवं उचित वर्दी पहनेंगे तथा आई.डी. कार्ड, चाहे वे रसोई में काम करते हों या रूम सर्विस प्रदान करते हों और वर्दी और फोटो आई.डी. कार्ड लाइसेंसधारी द्वारा प्रदान किया जाएगा।
17. कैंटीन परिसर का उपयोग आवासीय उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उज्जैन की लिखित अनुमति के बिना किसी भी कर्मचारी या व्यक्ति को रात में कैंटीन में रहने/काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
18. कैंटीन में कामगारों के आचरण/चरित्र/पूर्ववृत्त और उचित आचरण एवं व्यवहार की पूरी जिम्मेदारी कैंटीन टेकेदार की होगी। लाइसेंसधारी को अपने सभी कर्मचारियों (स्थायी अस्थायी, आकस्मिक) का आवश्यक विवरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को प्रदान करना होगा।
19. निविदाकर्ता/लाइसेंसधारक को किसी भी कीमत पर आदेश देने में समय की पाबंदी बनाए रखनी चाहिए। अनुज्ञप्तिधारी को आवश्यकता पड़ने पर संगोष्ठियों और बैठकों में नाश्ते/दोपहर के भोजन/रात्रिभोज की विशेष व्यवस्था भी करनी होगी
20. निविदाकर्ता/लाइसेंसधारक प्राप्त परिसर को अच्छी स्थिति में बनाए रखेगा और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यदि लाइसेंसधारी या उसके कर्मचारियों, कर्मचारियों या आपूर्तिकर्ता द्वारा परिसर को कोई नुकसान होता है तो उसकी मरम्मत लाइसेंसधारी द्वारा या तो क्षति को ठीक करके या लाइसेंसकर्ता द्वारा निर्धारित नकद मुआवजे का भुगतान कर की जाएगी।
- 20.ए किसी भी प्राकृतिक आपदा या निविदाकर्ता/लायसेंसधारक एवं उसके कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हुई क्षति के लिए लायसेंसधारक से शुल्क लिया जाएगा।
21. लाइसेंस प्राप्त परिसर का उपयोग केवल कैंटीन के व्यवसाय को चलाने के लिए किया जाएगा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।
22. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ग्राहक एवं कर्मचारियों से किसी तरह का वाद विवाद नहीं करेगा।
23. लाइसेंसधारी कैंटीन परिसर में न तो कोई खतरनाक सामान, प्रतिबंधित/अवैध/ विषाक्त सामग्री, पान गुटखा, तंबाकू और शराब आदि विक्रय नहीं करेगा।
24. लाइसेंसधारी बिना अनुमति के इलेक्ट्रिक हीटर या अन्य किसी भारी शुल्क वाले बिजली के उपकरणों का उपयोग नहीं करेगा।
25. जल संकट होने पर लाइसेंसधारी को अपने खर्च पर पानी की टंकी की व्यवस्था करनी होगी।
26. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परिसर की सुरक्षा हेतु अग्नि विनियम के अनुसार रसोई में अग्निशामक उपकरण स्थापित करेगा और परिसर को हानिरहित रखेगा और लाइसेंसधारी या उसके कर्मचारियों की ओर से किसी संपत्ति या कर्मचारियों की ओर से आग, चोरी या लापरवाही के


कारण होने वाली किसी भी क्षति के लिए क्षतिपूर्ति करेगा। परिसर में किसी प्रकार की क्षति/हानि होने की स्थिति में उक्त नुकसान की भरपाई लाइसेंसधारी को करना होगी। निविदा की शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।

27. लाइसेंसधारी को कैंटीन में ग्राहकों को बैठने की उचित व्यवस्था करना होगी।
28. लाइसेंसधारी के किसी भी कर्मचारी को कैंटीन परिसर में सिगरेट, पान, गुटखा, शराब और तंबाकू/शराब आदि से बनी अन्य वस्तुओं को बेचने की अनुमति नहीं होगी।
29. अनुज्ञप्तिधारी उक्त परिसर में कोई परिवर्धन या परिवर्तन या संरचनात्मक मरम्मत नहीं करेगा। केवल ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन या मरम्मत जो आवश्यक हैं और स्थायी प्रकृति के नहीं हैं, लाइसेंसधारी द्वारा किए जाने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन वह भी लाइसेंसकर्ता की पूर्व स्वीकृति/अनुमति के साथ।
30. कैंटीन संचालन का समय कार्य दिवसों में प्रातः 10.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक होगा तथा अवकाश दिवसों में आवश्यकतानुसार कैंटीन का संचालन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन के निर्देशानुसार करना होगा।
31. निविदाकर्ता/लाइसेंसधारक द्वारा कैंटीन संचालन में सफाई के मानक, उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता को न बनाए रखने की स्थिति में सुरक्षा निधि, बयाना राशि, अग्रिम किराया जब्त किया जावेगा एवं उक्त राशि समायोजन योग्य नहीं होगी।
32. निविदाएं खोलने के उपरांत प्रशासनिक समिति द्वारा परिसर का निरीक्षण कर सकती है और काम करने के अनुभव के समर्थन में सेवा प्रदाता द्वारा निर्दिष्ट पके हुए सामान की तैयारी की जांच कर सकती है।
33. कैंटीन से संबंधित मामलों में लाइसेंसकर्ता/ प्रधान जिला न्यायाधीश उज्जैन का निर्णय अंतिम और लाइसेंसधारी पर बाध्यकारी होगा।
34. लाइसेंसकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को किसी भी समय कैंटीन की रसोई में जाने का अधिकार है ताकि लाइसेंसधारी द्वारा देखी जा रही स्वच्छता की स्थिति को सत्यापित किया जा सके।
35. अनुज्ञप्तिधारी को निविदा दस्तावेज में उल्लेखित के अलावा किसी अन्य वस्तु को जोड़ने की अनुमति नहीं होगी। यदि अनुज्ञप्तिधारी किसी वस्तु को सूची में जोड़ना चाहता है तो उसे मद एवं उनकी दरों सहित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन की अनुमति लेनी होगी।
36. अनुज्ञप्तिधारी और अनुज्ञप्तकर्ता दोनों एक माह पूर्व सूचना देकर संविदा की अवधि के दौरान किसी भी समय संविदा छोड़ सकते हैं।
37. लाइसेंस की उक्त अवधि या अवधि की समाप्ति या उसके पूर्व समाप्ति पर, लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राप्त परिसर के खाली कब्जे को लाइसेंसकर्ता को उसी स्थिति में शांतिपूर्वक सौंप देगा। निविदाकर्ता/लाइसेंसधारक की अनुबंध अवधि समाप्त होने के पश्चात परिसर में लाइसेंसधारी के कब्जे को एक अतिचार के रूप में माना जाएगा और वह आगे नुकसान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और प्रधान जिला न्यायाधीश उज्जैन या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि, इस संबंध में लाइसेंसधारी को अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
38. अनुज्ञप्तिधारी/ठेकेदार एक शिकायत पुस्तिका रखेंगे जो अनुज्ञप्तिधारी/ठेकेदार द्वारा किसी भी व्यक्ति को जो कोई भी शिकायत दर्ज करने की इच्छा रखता है, उपलब्ध करायी जायेगी और जिसे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन एवं अन्य कार्यालय/व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए खोला जायेगा।
39. निविदा 24/08/2024 को जिला न्यायालय भवन, उज्जैन में जिला प्रशासनिक समिति, उज्जैन के अध्यक्ष के विश्रामकक्ष में निविदाकर्ता/ उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी। यदि किसी प्रशासनिक कारण से निविदा खुलने की तिथि को अवकाश घोषित होता है, तो ऐसी स्थिति में निविदा अगले कार्य दिवस को नियत समय पर खोली जायेगी।

40. सफल निविदाकर्ता को परफार्मेंस गारंटी के रूप में रू. 40,000/- का राष्ट्रीयकृत बैंक में देय "प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उज्जैन" के पक्ष में जारी डिमांड ड्राफ्ट पर प्रस्तुत करना होगा। सुरक्षा निधि के रूप में जमा राशि सफल निविदाकर्ता को अनुबंध अनुसार कार्य संतोषजनक होने पर अनुबंध समाप्ति के 60 दिवस उपरांत बिना ब्याज के लौटाई जावेगी। सफल निविदाकर्ता अथवा उसके कर्मचारी द्वारा कैंटीन कक्ष में किसी प्रकार का नुकसान किये जाने की स्थिति में नुकसान का व्यय परफार्मेंस गारंटी के रूप में जमा राशि से किया जावेगा।

मध्यस्थता :-

सफल निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध में उल्लेखित शर्तों के अनुसार कैंटीन संचालन का कार्य, सामग्री की गुणवत्ता अथवा किसी प्रकार का कोई प्रश्न, दावा, अधिकार, बात या बात के रूप में किसी भी तरह से अनुबंध अनुमान, निर्देश, आदेश या इन शर्तों से उत्पन्न या उससे संबंधित किसी भी तरह से या अन्यथा कार्य या निष्पादन या इसे उत्तेजित करने में विफलता से संबंधित है चाहे वह कार्य की प्रगति के दौरान या पूरा होने या उसके परित्याग के बाद उत्पन्न हो प्रधान जिला न्यायाधीश, उज्जैन या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को संदर्भित किया जा सकेगा।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

अनुबंध पत्र

ई-स्टॉम्प कोड.....

प्रथम पक्षकार—

द्वितीय पक्षकार—

**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन द्वारा रजिस्ट्रार, जिला न्यायालय, उज्जैन**

जिला न्यायालय भवन, उज्जैन की सर्विस बिल्डिंग में स्थापित कैंटीन के संचालन हेतु उपरोक्त वर्णित पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार अनुबंध किया जाता है।

1. जिला न्यायालय भवन, उज्जैन की सर्विस बिल्डिंग में स्थापित कैंटीन संचालन हेतु द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रथम पक्ष को बतौर लायसेंस प्रदान किया जा रहा है जिसका मासिक प्रीमियम (न्यूनतम लायसेंस फीस की राशि 17,150/-) प्रथम पक्षकार को अग्रिम रूप से प्रत्येक माह की 05 तारीख तक द्वितीय पक्ष के पास जमा करेगा।
2. प्रथम पक्षकार द्वारा सर्विस बिल्डिंग में कैंटीन कार्य संचालन हेतु राशि रू. 40,000/- चालीस हजार मात्र की एफ.डी.आर. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन के नाम से एक वर्ष हेतु परफार्मेंन्स गारंटी के रूप में जमा की गई है जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
3. प्रथम पक्षकार द्वारा लायसेंस फीस का भुगतान लगातार तीन माह तक अदा नहीं किये जाने की दशा में अमानत राशि जप्त कर लायसेंस तुरंत निरस्त कर दिया जावेगा।
4. प्रथम पक्षकार द्वारा सर्विस बिल्डिंग में कैंटीन संचालन हेतु पंजीयन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नियमानुसार कराया जावेगा तथा समस्त प्रचलित कानून, नियमों व शर्तों का पालन करते हुए कैंटीन का संचालन करेगा।
5. प्रथम पक्षकार कैंटीन संचालन कार्य के दौरान ऐसी कोई भी गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे शासकीय सम्पत्ति व न्यायालय की गरिमा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित हो।
6. प्रथम पक्षकार द्वारा सर्विस बिल्डिंग में कैंटीन संचालन का कार्य न्यायालयीन कार्य दिवस, समय में एवं समय-समय पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार किया जावेगा।
7. प्रथम पक्षकार सर्विस बिल्डिंग में कैंटीन के संचालन हेतु उन्हें आवंटित स्थान में किसी प्रकार का कोई स्थाई निर्माण/संरचना नहीं करेगा।
8. प्रथम पक्षकार सर्विस बिल्डिंग में कैंटीन संचालन हेतु आवंटित स्थान को साफ-सुथरा तथा प्रदूषण से मुक्त रखेंगे तथा किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र या ऑडियो सिस्टम का उपयोग नहीं करेंगे।
9. प्रथम पक्षकार सर्विस बिल्डिंग में कैंटीन संचालन कार्य हेतु आवंटित स्थान को किसी अन्य को आवंटित नहीं कर सकेंगे।
10. प्रथम पक्षकार को सर्विस बिल्डिंग में कैंटीन संचालन कार्य हेतु स्वयं के व्यय पर विद्युत मीटर प्राप्त करना होगा।
11. प्रथम पक्षकार द्वारा निविदा स्वीकृत होने के उपरांत टेंडर अवधि के दौरान बीच में ही कार्य बंद करने या छोड़ने की दशा में संपूर्ण सुरक्षा निधि की राशि जप्त की जावेगी।

12. प्रथम पक्षकार सर्विस बिल्डिंग में कैंटीन संचालन कार्य हेतु बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कर्मचारियों को संचालक नियोजित करेगा। नियोजित कर्मचारियों की सूची कार्यालय द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित कराई जावेगी। प्रथम पक्षकार कर्मचारियों को पहचान पत्र जारी करेगा जो धारण किये रहेंगे।
13. सर्विस बिल्डिंग में कैंटीन संचालन कार्य के संबंध में किसी प्रकार के विवाद का निराकरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा। समिति के निर्णय के विरुद्ध आपत्ति प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी एवं उनका निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।
14. द्वितीय पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वे प्रथम पक्षकार को सर्विस बिल्डिंग में कैंटीन संचालन कार्य हेतु दिया गया लायसेंस किसी भी समय बिना कारण बताए एक माह का नोटिस देकर निरस्त कर दें एवं उस दशा में ऐसे आवंटित को प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा निर्दिष्ट अवधि में कैंटीन संचालन कार्य अविलंब बंद करना होगा अन्यथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि कैंटीन संचालन कार्य को बंद कराकर आवंटित स्थान रिक्त करा लें।
15. जिला न्यायालय भवन की सर्विस बिल्डिंग में कैंटीन संचालन कार्य व लायसेंस की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की दशा में कोई भी दावा किसी भी न्यायालय/फोरम अथवा कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया जावेगा तथा विवाद के संबंध में प्रधान जिला न्यायाधीश (द्वितीय पक्षकार) का निर्णय अंतिम होगा।
16. यह अनुबंध पत्र एक वर्ष की कालावधि के लिये है, जो दिनांक से लागू होकर दिनांक तक प्रभावशील रहेगा। उपरोक्त अवधि में प्रथम पक्ष के लिए कैंटीन संचालन का कार्य करना आवश्यक होगा।
17. लायसेंस/किरायेदारी अवधि द्वितीय पक्षकार द्वारा आवश्यकतानुसार इन्हीं शर्तों के साथ बढ़ाई जा सकेगी।
18. अनुबंध की अवधि अनुबंध जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए होगी। अनुबंध अवधि में कैंटीन संचालन का कार्य संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अनुमोदन उपरांत 06-06 माह तक बढ़ायी जा सकेगी।
19. निविदाकर्ता/लाइसेंसधारक को न्यूनतम रु. 1,00,000/- (एक लाख मात्र) वार्षिक लाइसेंस शुल्क के रूप में, उज्जैन में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में देय "प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उज्जैन" के पक्ष में जारी डिमांड ड्राफ्ट पर प्रस्तुत करना होगा। निविदा उन बोलीदाताओं के बीच स्वीकार की जाएगी जो इस निविदा के तहत अन्य प्रभार्य / देय राशि के अलावा वार्षिक लाइसेंस शुल्क और न्यूनतम मद दर के लिए उच्चतम राशि की बोली लगाएंगे।
20. निविदाकर्ता/लाइसेंसधारक खाद्य/पेय पदार्थों की सूची संबंधित दरों के साथ, जो वे कैंटीन में उपलब्ध कराएंगे, निविदा दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करेंगे।
21. निविदाकर्ता/लाइसेंसधारक को भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी, उज्जैन द्वारा निर्धारित किराए के रूप में न्यूनतम राशि 17150/- रुपये की मासिक राशि का भुगतान निविदाकर्ता को करना होगा (भविष्य में किराए में बदलाव के अधीन) जिसे प्रत्येक माह की 7 तारीख या उससे पहले अग्रिम रूप से भुगतान किया जाना है। निविदाकर्ता को कब्जा लेने के समय अग्रिम रूप से 03 महीने का किराया देना होगा।
22. निविदाकर्ता/लाइसेंसधारक द्वारा आवेदन के साथ कार्य के अनुभव के संबंध में सरकारी/अर्ध-सरकारी संगठन या सार्वजनिक/निजी संस्थान/संगठन अस्पतालों आदि में

- कैंटीन चलाने का कम से कम दो साल का अनुभव होना चाहिए। अनुभव के संबंध में संबंधित पेपर निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।
23. निविदाकर्ता/लाइसेंसधारक द्वारा कैंटीन संचालन हेतु पृथक से बिजली और पानी के शुल्क का भुगतान वास्तविक खपत के अनुसार संबंधित विभाग/संस्थान को करना होगा। स्वयं के व्यय पर बिजली मीटर लगवाना होगा।
 24. निविदाकर्ता/लाइसेंसधारक द्वारा मासिक किराया जमा नहीं कराये जाने, परिसर की साफ-सफाई उचित रूप से न किये जाने व खाद्य वस्तु की स्वच्छता का ध्यान नहीं रखे जाने पर 100/- रुपये प्रतिदिन, अधिकतम रु. 2500/- प्रति माह भुगतान करना होगा।कैंटीन से निकलने वाले प्रतिदिन के कचरे को कचरा गाड़ी में डालने की जिम्मेदारी लाइसेंसधारक की होगी
 25. निविदाकर्ता/लाइसेंसधारक को कैंटीन संचालन के लिए किसी अन्य व्यक्ति को उप- किराए पर देने, सौंपने या अधिकृत करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
 26. निविदाकर्ता/लाइसेंसधारक कैंटीन के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा, हर समय पूर्ण स्वच्छ और स्वच्छस्थिति और सक्षम प्राधिकारी या / प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन द्वारा लगाए गए किसी भी/सभी दंड के लिए जिम्मेदार होगा।
 27. निविदाकर्ता/लाइसेंसधारक नगर निगम और कैंटीन चलाने के लिए आवश्यक अन्य सक्षम अधिकारियों से प्रमाण पत्र/लाइसेंस प्राप्त करेगा।
 28. कैंटीन कक्ष के पास स्थित खुले स्थान पर निविदाकर्ता/लाइसेंसधारक का कोई अधिकार नहीं होगा।
 29. निविदाकर्ता/लाइसेंसधारक को लाइसेंस प्राप्त परिसर/क्षेत्र के अनन्य कब्जे में माना जाएगा और लाइसेंसकर्ता को कैंटीन परिसर का निरीक्षण करने के लिए कार्य घंटों के दौरान किसी भी समय परिसर में प्रवेश करने का अधिकार होगा।
 30. निविदाकर्ता/लाइसेंसधारक द्वारा उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल/सब्जियों की गुणवत्ता अच्छी/ताजा गुणवत्ता की होनी चाहिए और नियम, कानून और विनियमों के अनुसार लागू होनी चाहिए। विक्रेता को समय-समय पर लागू होने वाले निविदा दस्तावेज और कानून के अनुसार गुणवत्ता और मात्रा बनाए रखने के लिए घोषणा/वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी, जिसका उल्लंघन बिना सूचना के लाइसेंस की समाप्ति के लिए आधार होगा।
 31. निविदाकर्ता/लाइसेंसधारक द्वारा कैंटीन के उपयोग हेतु नाश्ता/अन्य सेवाओं की गुणवत्ता की समय-समय पर जांच की जाएगी और असंतोषजनक पाए जाने पर लाइसेंसकर्ता/प्रधान जिला न्यायाधीश उज्जैन द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना कोई कारण बताए लाइसेंस किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन के पास बिना किसी सूचना के भी आवश्यक समझे जाने पर जुर्माना लगाने का पूरा अधिकार सुरक्षित है।
 32. निविदाकर्ता/लाइसेंसधारक द्वारा उपयोग किये जा रहे क्रॉकरी और खाना पकाने के बर्तन आदि हमेशा अच्छी स्थिति में एवं अच्छी गुणवत्ता के रखना होंगे।
 33. निविदाकर्ता/लाइसेंसधारक के सभी नियुक्त कर्मचारी स्वच्छ एवं उचित वर्दी पहनेंगे तथा आई. डी. कार्ड, चाहे वे रसोई में काम करते हों या रूम सर्विस प्रदान करते हों और वर्दी और फोटो आई.डी. कार्ड लाइसेंसधारी द्वारा प्रदान किया जाएगा।
 34. कैंटीन परिसर का उपयोग आवासीय उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उज्जैन की लिखित अनुमति के बिना किसी भी कर्मचारी या व्यक्ति को रात में कैंटीन में रहने/काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 35. कैंटीन में कामगारों के आचरण/चरित्र/पूर्ववृत्त और उचित आचरण एवं व्यवहार की पूरी जिम्मेदारी कैंटीन ठेकेदार की होगी। लाइसेंसधारी को अपने सभी कर्मचारियों (स्थायी अस्थायी,

आकस्मिक) का आवश्यक विवरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को प्रदान करना होगा।

36. निविदाकर्ता/लाइसेंसधारक को किसी भी कीमत पर आदेश देने में समय की पाबंदी बनाए रखनी चाहिए। अनुज्ञप्तिधारी को आवश्यकता पड़ने पर संगोष्ठियों और बैठकों में नाश्ते/दोपहर के भोजन/रात्रिभोज की विशेष व्यवस्था भी करनी होगी
37. निविदाकर्ता/लाइसेंसधारक प्राप्त परिसर को अच्छी स्थिति में बनाए रखेगा और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यदि लाइसेंसधारी या उसके कर्मचारियों, कर्मचारियों या आपूर्तिकर्ता द्वारा परिसर को कोई नुकसान होता है तो उसकी मरम्मत लाइसेंसधारी द्वारा या तो क्षति को ठीक करके या लाइसेंसकर्ता द्वारा निर्धारित नकद मुआवजे का भुगतान कर की जाएगी।
38. किसी भी प्राकृतिक आपदा या निविदाकर्ता/लाइसेंसधारक एवं उसके कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हुई क्षति के लिए लाइसेंसधारक से शुल्क लिया जाएगा।
39. लाइसेंस प्राप्त परिसर का उपयोग केवल कैंटीन के व्यवसाय को चलाने के लिए किया जाएगा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।
40. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ग्राहक एवं कर्मचारियों से किसी तरह का वाद विवाद नहीं करेगा।
41. लाइसेंसधारी कैंटीन परिसर में न तो कोई खतरनाक सामान, प्रतिबंधित/अवैध/ विषाक्त सामग्री, पान गुटखा, तंबाकू और शराब आदि विक्रय नहीं करेगा।
42. लाइसेंसधारी बिना अनुमति के इलेक्ट्रिक हीटर या अन्य किसी भारी शुल्क वाले बिजली के उपकरणों का उपयोग नहीं करेगा।
43. जल संकट होने पर लाइसेंसधारी को अपने खर्च पर पानी की टंकी की व्यवस्था करनी होगी।
44. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परिसर की सुरक्षा हेतु अग्नि विनियम के अनुसार रसोई में अग्निशामक उपकरण स्थापित करेगा और परिसर को हानिरहित रखेगा और लाइसेंसधारी या उसके कर्मचारियों की ओर से किसी संपत्ति या कर्मचारियों की ओर से आग, चोरी या लापरवाही के कारण होने वाली किसी भी क्षति के लिए क्षतिपूर्ति करेगा। परिसर में किसी प्रकार की क्षति/हानि होने की स्थिति में उक्त नुकसान की भरपाई लाइसेंसधारी को करना होगी। निविदा की शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।
45. लाइसेंसधारी को कैंटीन में ग्राहकों को बैठने की उचित व्यवस्था करना होगी।
46. लाइसेंसधारी के किसी भी कर्मचारी को कैंटीन परिसर में सिगरेट, पान, गुटखा, शराब और तंबाकू/शराब आदि से बनी अन्य वस्तुओं को विक्रय नहीं किया जावेगा।
47. अनुज्ञप्तिधारी उक्त परिसर में कोई परिवर्धन या परिवर्तन या संरचनात्मक मरम्मत नहीं करेगा। केवल ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन या मरम्मत जो आवश्यक हैं और स्थायी प्रकृति के नहीं हैं, लाइसेंसधारी द्वारा किए जाने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन वह भी लाइसेंसकर्ता की पूर्व स्वीकृति/अनुमति के साथ।
48. कैंटीन संचालन का समय कार्य दिवसों में प्रातः 10.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक होगा तथा अवकाश दिवसों में आवश्यकतानुसार कैंटीन का संचालन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन के निर्देशानुसार करना होगा।
49. निविदाकर्ता/लाइसेंसधारक द्वारा कैंटीन संचालन में सफाई के मानक, उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता को न बनाए रखने की स्थिति में सुरक्षा निधि, बयाना राशि, अग्रिम किराया जब्त किया जावेगा एवं उक्त राशि समायोजन योग्य नहीं होगी।
50. निविदाएं खोलने के उपरांत प्रशासनिक समिति द्वारा परिसर का निरीक्षण कर सकती है और काम करने के अनुभव के समर्थन में सेवा प्रदाता द्वारा निर्दिष्ट पके हुए सामान की तैयारी की जांच कर सकती है।

51. कैंटीन से संबंधित मामलों में लाइसेंसकर्ता/ प्रधान जिला न्यायाधीश उज्जैन का निर्णय अंतिम और लाइसेंसधारी पर बाध्यकारी होगा।
52. लाइसेंसकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को किसी भी समय कैंटीन की रसोई में जाने का अधिकार है ताकि लाइसेंसधारी द्वारा देखी जा रही स्वच्छता की स्थिति को सत्यापित किया जा सके।
53. अनुज्ञप्तिधारी को निविदा दस्तावेज में उल्लेखित के अलावा किसी अन्य वस्तु को जोड़ने की अनुमति नहीं होगी। यदि अनुज्ञप्तिधारी किसी वस्तु को सूची में जोड़ना चाहता है तो उसे मद एवं उनकी दरों सहित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन की अनुमति लेनी होगी।
54. अनुज्ञप्तिधारी और अनुज्ञप्तकर्ता दोनों एक माह पूर्व सूचना देकर संविदा की अवधि के दौरान किसी भी समय संविदा छोड़ सकते हैं।
55. लाइसेंस की उक्त अवधि या अवधि की समाप्ति या उसके पूर्व समाप्ति पर, लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राप्त परिसर के खाली कब्जे को लाइसेंसकर्ता को उसी स्थिति में शांतिपूर्वक सौंप देगा। निविदाकर्ता/लायसेंसधारक की अनुबंध अवधि समाप्त होने के पश्चात परिसर में लाइसेंसधारी के कब्जे को एक अतिचार के रूप में माना जाएगा और वह आगे नुकसान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और प्रधान जिला न्यायाधीश उज्जैन या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि, इस संबंध में लाइसेंसधारी को अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
56. अनुज्ञप्तिधारी/ठेकेदार एक शिकायत पुस्तिका रखेंगे जो अनुज्ञप्तिधारी/ठेकेदार द्वारा किसी भी व्यक्ति को जो कोई भी शिकायत दर्ज करने की इच्छा रखता है, उपलब्ध करायी जायेगी और जिसे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन एवं अन्य कार्यालय/व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए खोला जायेगा।
- निम्नलिखित दस्तावेजों को इस अनुबंध के हिस्से के रूप में पढ़ा जाएगा—
- (अ) संपूर्ण निविदा दस्तावेज।
- (ब) इस संबंध में जारी दिशा-निर्देश।
- (स) स्वीकृति पत्र/कार्य आदेश।
- (द) इस संबंध में सभी पत्राचार।
- (घ) निविदा की स्वीकृत दर सूची।
- यह अनुबंध पत्र आज दिनांक को स्थान जिला न्यायालय उज्जैन में साक्षीगण के समक्ष निष्पादित किया गया।

हस्ताक्षर प्रथम पक्षकार

.....
 (प्रतिनिधि एवं संस्था का नाम)

हस्ताक्षर द्वितीय पक्षकार
 रजिस्ट्रार, जिला न्यायालय, उज्जैन
 द्वारा—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

साक्षीगण

1.

2.

:: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ::

| स.क्रं. | विवरण | भाव |
|---------|---|-----|
| 1 | अ) चाय (प्रति कप) 150 एम.एल. | |
| | ब) चाय (dip) 150 एम.एल. | |
| 2 | अ) कॉफी (प्रति कप) 150 एम.एल. | |
| | ब) एस्प्रेसो कॉफी 150 एम.एल. | |
| | स) शीतल पेय 200 ml/300 ml./500 ml. | |
| 3 | बटर टोस्ट-2 स्लाइस (50 ग्राम) | |
| 4 | बिस्कुट (ब्रिटानिया/ पार्ले/ प्रिया गोल्ड/बोर्बोन) | |
| 5 | बर्गर (100 ग्राम) | |
| 6 | समोसा (प्रति नग) (100 ग्राम) | |
| 7 | कचोरी (प्रति नग) (50 ग्राम) | |
| 8 | ब्रेड पकोड़ा (बड़ी भरवां ब्रेड) (100 ग्राम) | |
| 9 | सब्जी कटलेट (प्रति नग) (50 ग्राम) | |
| 10 | मिक्स वेजीटेबल पकोड़े प्रति प्लेट (100 ग्राम) | |
| 11 | पनीर पकोड़ा (प्रति नग) (50 ग्राम) | |
| 12 | वेजिटेबल पेटी (50 ग्राम) | |
| 13 | पनीर पकोड़ा (50 ग्राम) | |
| 14 | आलू बड़ा (50 ग्राम) | |
| 15 | सांभर वड़ा (प्रति प्लेट दो नग) (150 ग्राम) | |
| 16 | इडली-सांभर (प्रति प्लेट-2 नग) (150 gins.) | |
| 17 | पाव-भाजी (2 नग) (50 ग्राम) प्रत्येक | |
| 18 | सब्जियां (प्रति प्लेट) | |
| 19 | a) आलू - टमाटर (प्रति प्लेट) (150 ग्राम) | |
| | b) आलू मटर बी सद्द प्रति प्लेट (150 ग्राम) | |
| | c) कड़ी (प्रति प्लेट) (150 gins.) | |
| | d) वेजीटेबल कोफ्ता (प्रति प्लेट) (150 gins.) | |
| | e) राजमा (प्रति प्लेट) (150 ग्राम) | |
| | f) दाल (प्रति प्लेट) (150 ग्राम) | |
| | g) मौसमी सूखी सब्जी (प्रति प्लेट) (150 gins.) | |
| 20 | दो भटूरे (100 gms.) छोले के साथ (प्रति प्लेट) (2 नग) | |
| 21 | चार पूड़ी (100 gms) आलू/चना की सब्जी के साथ (100 ग्राम) | |
| 22 | गुलाब जामुन (50 ग्राम) | |

| | | |
|----|---|--|
| 23 | रसगुल्ला (50 ग्राम) | |
| 24 | मसाला डोसा (100 ग्राम) सांभर एवं चटनी के साथ | |
| 25 | उपमा (100 ग्राम) सांभर एवं चटनी के साथ | |
| 26 | चाऊमीन (फुल प्लेट) (150 ग्राम) | |
| 27 | पराठा (आलू/गोभी/मूली इत्यादि) (50 ग्राम) | |
| 28 | a) लंच थाली 1 p.m. to 2 p.m. के मध्य | |
| | b) 1 कड़ी/दाल/राजमा (150 ग्राम) | |
| | c) 1 सूखी सब्जी (150 ग्राम) | |
| | d) चावल (150 ग्राम) | |
| | e) 4 पूड़ी / 4 चपाती (100 ग्राम) | |
| | f) 1 दही / रायता (150 ग्राम) with अचार/ सलाद | |
| 29 | वेफर्स, चॉकलेट, टॉफी इत्यादि | |
| 30 | मिनरल वॉटर (1 लीटर) (Bisleri, Aquafina, Kinley) | |
| 31 | मिनरल वॉटर (आधा लीटर) (Bisleri, Aquafina, Kinley) | |

नोट- सभी सामग्री/उत्पाद मानक कंपनी/फर्मों के होने चाहिए और खाद्य नियमन से संबंधित कानून, नियमों और अधिसूचना, आदेश के अनुसार अच्छी स्वास्थ्यकर स्थिति में होना चाहिए।

1-1201-25-054-00
11/12/2024